

## नोटिस

सरकार ने अपने आदेश क्रमांक: 25/222/2015-6HB-1 दिनांक 3-9-2015 को 389 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त पत्र जारी किये हैं तथा नियुक्त पत्र की शर्त अनुसार इन चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर-2 कार्यग्रहण करना था परन्तु कुछ चिकित्सा अधिकारियों ने अपना कार्यग्रहण समय बढ़ाने बारे सरकार से अनुरोध किया है । सरकार ने विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि सभी नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की कार्यग्रहण अवधि 15 दिन और बढ़ाई जाती है ।

डी0पी0 लोचन

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकूला

पृ0 क्रमांक: 7/3-5E-II-2015/ 1234

दिनांक 18-9-2015

इसकी एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

निदेशक, (प्रशिक्षण)

कृते: महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ।

पृ0 क्रमांक: 7/3-5E-II-2015/ 7160 - 7176 दिनांक 18-9-2015

सिविल सर्जन व प्रधान चिकित्सा अधिकारियों के लिए:

हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जनों/प्रधान चिकित्सा अधिकारियों से अनुरोध है कि सरकार के उक्त आदेशों की अनुपालना में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को आगामी 15 दिन तक कार्यग्रहण करवा लिया जाये ।

निदेशक, (प्रशिक्षण)

कृते: महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ।

पृ0 क्रमांक: 7/3-5E-II-2015/ 4177

दिनांक 18-9-2015

इसकी एक प्रति इंचार्ज, आई0टी0सैल को भेजते हुए अनुरोध है कि इन आदेशों को विभागीय वैबसाईट पर Upload कर दिया जाये तथा सभी सिविल सर्जनों/प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को ई-मेल कर दिया जाये ।

निदेशक, (प्रशिक्षण)

कृते: महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ।